भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

N EW DELHI REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

> संख्या No.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलिगैन्स कैपिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंग करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

Elegance Capital Services Private Limited

is hereby granted

Certificate of Registration

to entire / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन मार्च दो हज़ार दो की तेरहवी तारीख को जारी किया गया।

this Thirteenth

Given under my hand at day of March

Two Thousand



